

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ. 3(31)पोषा/क्रेच/ICDS/2015/ 130698-130 जयपुर, दिनांक:
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

3.10.16

विषय:-आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह पर लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ:- विभागीय आदेश क्रमांक एफ11(3)/मौ./क्रेच/आई.सी.डी.
एस/2013/10390-454 दिनांक 18.02.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह संचालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन 125 ग्राम बेबीमिक्स पोषाहार एवं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतः उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह पर ठहरने वाले आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को वर्तमान में उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार के अनुरूप ही पूरक पोषाहार की एक अतिरिक्त खुराक उपलब्ध कराई जाये।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 131600282 दिनांक 01.07.16 द्वारा दी गई सहमति के क्रम में जारी किये गये हैं।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,

राज. जयपुर।

क्रमांक-एफ. 3(31)पोषा/क्रेच/ICDS/2015/ 130731-131000 जयपुर, दिनांक:
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

3.10.16

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), मुख्यालय को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 102560 दिनांक 02.08.16 के क्रम में।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।

(स्मिता सरिन)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,